

अपनी स्वतंत्रता बूझिकी हुद मे हुी निर्माण
कर रहा हुी। दोनो पक्षों मे नाद विचारण
तक अनावश्यक वाद बाहुलता ना हो। इसलिये
अभ्यालय द्वारा जारी अस्वार्थ निषेधाज्ञा
दिनांक - 15/06/2018 मे आंशिक संशोधन
किया जाकर अपाधी को गैरसला वाद
अस्वार्थ निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाया
हुी कि वे ख.सं. 2817/2138 की मेड
मे कोई परिवर्तन नही करे, निर्माण कार्य
नही करे। पत्रावली फंसल शुमार की
जाकर वाद एकमील नम्बर से कम हुकर
दाखिल हफतर हो। निर्णय से इतलास
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली